एमएमटीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएन सं. एल 51909डीएल1963जीओआई 004033
कोर -1, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया
लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003 भारत
वेबसाइट: www.mmtclimited .gov.in

आंतरिक कर्मचारियों(इनसाइडर) द्‌वारा विनियमन और रिपोर्टिंग तथा निष्कपट प्रकटन के लिए आचार संहिता, 2015

सेबी(आंतरिक ट्रेडिंग का निषेध) विनियम – 2015 के अनुक्रम में

(15 मई, 2015 से प्रभावी)

विषय-सूची

. . सं.	विषय	पेज सं.
अध्याय I – प्रस्तावना		
1.	प्रस्तावना	3
2.	नीति और बाध्यताएं (विवक्षाएं)	3
3.	संहिता का उद्देश्य	3
4.	लागू होना (प्रभाविता)	3
5.	परिभाषाएं	4
अध्याय II- गोपनीयता और यूपीएसआई का संप्रेषण		
6.	अनुपालन अधिकारी	7
7.	अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का संरक्षण	7
अध्याय III- ट्रेडिंग संबंधी प्रतिबंध		
8.	पदनामित कर्मचारियों द्वारा प्रतिभूतियों में वायदा लेन-देन (डीलिंग) पर प्रतिबंध	9
9.	ट्रेडिंग विंडो	9
10.	ट्रेड की पूर्व-स्वीकृति	10
11.	ट्रेडिंग प्लान	11
	11	
अध्याय IV- रिपोर्टिंग और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं		13
अध्याय V- विविध		
13.	**संहिता के उल्लंघन के लिए शास्ति**	15
14.	पीएफसी की वेबसाइट पर संहिता को अपलोड करना	15
15.	फॉर्म	16
अनुबंध -I: प्रक्रिया संहिता और निष्कपट प्रकटन के लिए प्रक्रिया		30

एमएमटीसी लिमिटेड

आंतरिक कर्मचारियों(इनसाइडर) द्वारा विनियमन और रिपोर्टिंग तथा निष्कपट प्रकटन के लिए आचार संहिता, 2015

(दिनांक 15 मई, 2015 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित)

अध्याय 1

1. प्रस्तावना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग) विनियम, 1992 के अनुक्रम में कंपनी ने आंतरिक ट्रेडिंग के लिए एक व्यापक आचार संहिता तैयार की थी और उसे 13.12.2012 को आयोजित निदेशक मंडल की 399वीं बैठक में अनुमोदित किया गया और अपनाया गया।

सेबी ने दिनांक 15.01.2015 की राजपत्रित अधिसूचना के जरिए सेबी(आंतरिक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम 1992 को वापस लेते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड(आंतरिक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम, 2015 अधिसूचित किया है,जो 15 मई,2015 से लागू होंगे।

2. नीति और बाध्यताएं(विवक्षाएं)

यह आचार संहिता अथवा आंतरिक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध मूल संवेदी अप्रकाशित सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(आंतरिक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम, 2015 के अध्याय – IV के विनियम 9(1) के अनुक्रम में तैयार की गई है, जिसमें कि सभी कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हुए सभी पणधारकों के साथ लेन देन(डीलिंग) में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। कंपनी के निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य, संबंधित व्यक्ति, पदनामित कर्मचारी का यह नैतिक दायित्व है कि वह कंपनी में अपने कार्य के दौरान प्राप्त की गई ऐसी सभी सूचना की गोपनीयता बनाए रखे। निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य, संबंधित व्यक्ति पदनामित कर्मचारी अपने निजी लाभ प्राप्त करने अथवा किसी तृतीय पक्षकार को लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद अथवा कंपनी के ज्ञान का दुरूपयोग नहीं कर सकता/सकती है।

3. सहिता का उदेश्य

संहिता का उदेश्य पदनामित कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करना, निगरानी और रिपोर्ट करना है, ताकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(आंतरिक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम, 2015 के अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यह आचार संहिता मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना के निष्कपट प्रकटन के लिए पद्धतियों और प्रक्रियाएं भी प्रदान करेगी।

4. लागू होना (प्रभावित)

यह संहिता इसमें उल्लेखित सभी पदनामित कर्मचारियों और अन्य संबंधित वयक्तियों के लिए लागू होगी।

5. परिभाषा

इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा आवश्यक न हो:

(i) 'अधिनियम' से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 अभिप्रेत है,

(ii) 'बोर्ड' से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है,

(iii) 'निदेशक मंडल' से एमएमटीसी लिमिटेड का निदेशक मंडल अभिप्रेत है,

(iv) 'कंपनी' से एमएमटीसी लिमिटेड(एमएमटीसी) अभिप्रेत है,

"संहिता" से एमएमटीसी की समय-समय पर यथा संशोधित आंतरिक कर्मचारियों(इनसाइडर) द्वारा विनियमन और रिपोर्टिंग तथा निष्कपट प्रकटन के लिए आचार संहिता अभिप्रेत है।

(V) "संबंधित व्यक्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) ऐसा कोई वयक्ति जो किसी भी हैसियत में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी से संबद्ध है अथवा संबंधित अधिनियम से पहले 6 माह के दौरान कंपनी से संबंधित रहा है, जिसमें इसके अधिकारियों के साथ किसी भी कारण से प्राय: स्रप्रेषण करने अथवा कंपनी के साथ कोई भी संविदागत, सांविधिक अथवा रोजगारपरक संबंध अथवा कंपनी का निदेशक, अधिकारी अथवा कोई कर्मचारी होने होने के नाते या कोई ऐसा पदधारी व्यक्ति जिसमें उसके और कंपनी के बीच पेशेवर अथवा व्यापारिक संबंध हैं, शामिल हैं, चाहे वे संबंध अस्थायी अथवा स्थायी क्यों न हों, जो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मूल संवेदी अप्रकाशित सूचना का अभिगम करने की अनुमति प्रदान करता है या तर्कसंगत ढंग से उससे इस सूचना का अभिगम करने की अपेक्षा होती है।

(ii) उपर्युक्त के सामान्य निहितार्थ के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों को मानद रूप से तब तक संबंधित व्यक्ति माना जाएगा जब तक कि कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता है –

(क) खंड (i) में विनिर्दिष्ट संबद्ध व्यक्तियों का कोई निकटतम रिश्तेदार अथवा

(ख) कोई धारक कंपनी अथवा सहयोगी कंपनी या सहायक कंपनी अथवा

(ग) अधिनियम की धारा 12 में यथा विनिर्दिष्ट कोई माध्यस्थ अथवा उसका कोई कर्मचारी या निदेशक अथवा

(घ) कोई निवेशक कंपनी, न्यासी कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी अथवा उसका कोई कर्मचारी या निदेशक अथवा

(ङ) किसी स्टॉक एक्सचेंज अथवा क्लियरिंग हाउस या कारपोरेशन का कोई अधिकारी अथवा

(च) किसी म्यूचुअल फंड के न्यासी बोर्ड का कोई सदस्य अथवा किसी म्यूचुअल फंड की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के निदेशक मंडल का कोई सदस्य अथवा उसका कोई कर्मचारी; अथवा

(छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (72) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के निदेशक मंडल का कोई सदस्य अथवा कोई कर्मचारी; अथवा

(ज) सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा प्राधिकृत किसी स्व-विनियमन संगठन का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी; अथवा

(झ) कंपनी का कोई बैंकर; अथवा

(ट) कोई प्रतिष्ठान, फर्म, न्यास, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी अथवा लोगों का कोई संघ जिसमें किसी कंपनी के निदेशक अथवा उसके किसी निकटतम रिश्तेदार अथवा कंपनी के बैंकर के पास 10 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है अथवा उसका हित निहित है;

(ठ) पदनामित कर्मचारी;

(vi) **"पदनामित कर्मचारी"** से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कंपनी में निम्नलिखित में से किसी पद पर कार्यरत है:

(क) सभी निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी

(ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

(ग) पीएफसी और इसकी सहायक कंपनियों की नामावली में शामिल सभी कर्मचारी

(घ) पीएफसी और इसकी सहायक कंपनियों का कोई अन्य कर्मचारी, चाहे वह अस्थायी, संविदा अथवा तदर्थ आधार पर क्यों न कार्यरत हो, जिसे समय-समय पर पीएफसी के सीएमडी द्वारा दिए गए अनुमोदन से अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया गया हो;

(vii) **"निदेशक"** से कंपनी के निदेशक मंडल का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(viii) **"सामान्यत: उपलब्ध सूचना"** से ऐसी सूचना अभिप्रेत है, जो बिना किसी भेदभाव के आधार पर जनता द्वारा अभिगम के लिए उपलब्ध है;

(किसी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना को सामान्यत: उपलब्ध सूचना माना जाएगा)

(ix) **"प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक"** अथवा **"केएमपी"**, से वही अर्थ अभिप्रेत होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित किया गया है;

(x) **"निकटतम संबंधी"** से किसी व्यक्ति की पत्नी अथवा पति और माता-पिता, भाई अथवा बहन और ऐसे व्यक्ति अथवा पति/पत्नी का कोई बच्चा अभिप्रेत है, जिनमें से कोई भी या तो वित्तीय रूप से उस व्यक्ति पर आश्रित है अथवा प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग से संबंधित निर्णय लेने में ऐसे व्यक्ति से परामर्श करता/करती है;

(xi) **"इनसाइडर" से** कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो :

i) कोई संबद्ध व्यक्ति; अथवा

ii) जिसके पास मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना है अथवा उसका अभिगम कर सकता है;

(xii) **"विनियम"** से समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम, 2015 अभिप्रेत है;

(xiii) **"प्रतिभूतियां"** से वही अर्थ अभिप्रेत होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42वां) अथवा उसमें किए गए किसी संशोधन के तहत म्यूचुअल फंड की यूनिटों को छोड़कर उनके लिए विनिर्दिष्ट किया गया है;

(xiv) **"स्टॉक एक्सचेंज"** से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है, जिसके साथ कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) बांबे स्टॉक एक्सचेंज; और

(ख) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड;

(xv) **"ट्रेडिंग"** से ग्राहक बनना, खरीद, बिक्री, लेन-देन करना अथवा ग्राहक बनने, किन्हीं प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने, लेन-देन करने के लिए सहमति देना अभिप्रेत है और तदनुसार **"ट्रेड"** की व्याख्या की जाएगी;

(xvi) **"ट्रेडिंग डे"** से वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए खुले रहते हैं;

(xvii) "ट्रेडिंग प्लान" से ऐसा प्लान अभिप्रेत है, जो किसी इनसाइडर, जिसके पास मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना होती है, द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने और कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिए सार्वजनिक प्रकटन हेतु अनुपालन अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की जाती है ;

(xviii) **"ट्रेडिंग विंडो"** से कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग अवधि अभिप्रेत है। जिस समय ट्रेडिंग विंडो बंद होती है, को छोड़कर सभी दिनों को ट्रेडिंग अवधि माना जाएगा;

(xix) **"मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना" अथवा "यूपीएसआई"** से कोई ऐसी सूचना अभिप्रेत है, जो प्रतयक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी कंपनी या इसकी प्रतिभूतियों से संबंधित है, जो सामान्यत: उपलब्ध नहीं है और जिसके सामान्यत: उपलब्ध हो जाने पर प्रतिभूतियों का मूल्य बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है और इसमें सामान्यत: निम्नलिखित, परंतु इतनी ही नहीं, से संबंधित सूचना सूचना शामिल होगी: –

(i) वित्तीय परिणाम;

(ii) अंतरिम लाभांश सहित लाभांश;

(iii) पूंजी ढांचे में परिवर्तन;

(iv) प्रतिभूतियों का सार्वजनिक इश्यू/बाई बैक

(v) मर्जर, डी-मर्जर, अधिग्रहण, डीलिस्टिंग, निपटान और व्यापार का विस्तार और ऐसे अन्य लेन-देन;

(vi) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन; और

(vii) सूचीकरण करार के अनुसार वास्तविक घटनाएं।

(viii) कंपनी की नीतियों, योजनाओं अथवा प्रचालनों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ix) सीएमडी, एमएमटीसी के अनुमोदन से अनुपालन अधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य घटना/कार्यक्रम

अन्य सभी शब्दों और वाक्याशों का वही अर्थ अभिप्रेत होगा, जो समय-समय पर यथा संशोधित सेवी(इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम, 2015 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियं, जिनका यहां प्रयोग किया गया है जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1952 प्रतिभूति संविदा(विनियम) अधिनियम 1956, डिपोजीटरी अधिनियम 1996 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 और उनके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों में परिभाषित किए गए हैं, का वही अर्थ अभिप्रेत होगा, जो उनके लिए इन विधानों में क्रमश: विनिर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय II

गोपनीयता और मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना (यूपीएसआई) का संप्रेषण

6. अनुपालन अधिकारी

6.1 "अनुपालन अधिकारी" से कंपनी सचिव अथवा इस प्रकार पदनामित कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी अभिप्रेत होगा, जो निदेशक मंडल को रिपोर्ट करेगा और जो वित्तीय रूप से साक्षर है तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम 2015 के अंतर्गत कानूनी और नियामक अनुपालन की आवश्यकताओं को समझने में सक्षम है।

6.2 अनुपालन अधिकारी नीतियों, प्रक्रियाओं के अनुपालन, रिकार्डों के रखरखाव, मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना के संरक्षण हेतु नियमों के अनुपालन की निगरानी, व्यापार की निगरानी और निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण में आचार संहिता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।

6.3 इस प्रकार नामित कर्मचारियों का मानव संसाधन यूनिट द्वाराएक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा। यह रिकॉर्ड अनुपालन अधिकारी द्वारा जब कभी मांगे जाने पर उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

7. "मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना" का संरक्षण

7.1 सभी पदनामित कर्मचारी और संबद्ध व्यक्ति मूल्य संवेदी सूचना की गोपनीयता बनाए रखेंगे। सभी सूचना का आदान-प्रदान संगठन के भीतर जानने की आवश्यकता आधार पर किया जाएगा और कोई भी मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना किसी इनसाइडर के वैध प्रयोजनों, कर्तव्यों के निष्पादन अथवा कानूनी बाध्यताओं के निर्वहन की आवश्यकता के मामले को छोड़कर किसी व्यक्ति को संप्रेषित नहीं की जाएगी।

7.2 कोई भी इनसाइडर कोई मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना , जो किसी कंपनी अथवा सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित है, को किसी अन्य इनसाइडर को तब तक संप्रेषित, प्रदान अथवा उपलब्ध नहीं कराएगा, जबतक कि ऐसी सूचना का संप्रेषण उसके वैध प्रयोजनों, कर्तव्यों के निष्पादन अथवा कानूनी बाध्यताओं के निवर्हन हेतु आवश्यक न हो।

7.3 **कोई भी व्यक्ति** कोई मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना , जो किसी कंपनी अथवा सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित है, को किसी अन्य इनसाइडर से तब तक नहीं मांगेगा अथवा प्राप्त करने के लिए उसे बाध्य नहीं करेगा जबतक कि ऐसी सूचना का संप्रेषण उसके वैध प्रयोजनों, कर्तव्यों के निष्पादन अथवा कानूनी बाध्यताओं के निवर्हन हेतु आवश्यक न हो।

7.4 संहिता में किसी बात के निहित होते हुए भी कोई मूल्य संवेदी अप्रकशित सूचना किसी ऐसे लेन-देन के संबंध में संप्रेषित, उपलब्ध, अभिगम की अनुमति अथवा खरीद कर प्राप्त की जाए, जिसमें :–

(i) अधिग्रहण संबंधी विनियमों के अंतर्गत एक खुला प्रस्ताव देने की कोई बाध्यता निहित है, जहां कंपनी के निदेशक मंडल का यह सूचित दृष्टिकोण होता है कि प्रस्तावित लेन-देन कंपनी के सर्वश्रेष्ठ हित में है;

(ii) जो अधिग्रहण संबंधी विनियमों के अंतर्गत कोई खुला प्रस्ताव देने की बाध्यता उत्पन्न नहीं करता है, परंतु जहां कंपनी के निदेशक मंडल का यह सूचित दृष्टिकोण होता है कि प्रस्तावित लेन-देन कंपनी के सर्वश्रेष्ठ हित में है और ऐसी सूचना जिसमें मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना निहित है, को निदेशक मंडल द्वारा यथा निर्धारित रूप में प्रस्तावित लेन-देन किए जाने से पहले कम-से-कम दो ट्रेडिंग दिवसों में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर उसका प्रसार करना आवश्यक है।

7.5 उपर्युक्त खंड के प्रयोजन से पक्षकारों को ऐसे पक्षकारों की ओर से गोपनीयता और अप्रकटन संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए करार करना होगा और ऐसे पक्षकार उपर्युक्त खंड 7.4 के प्रयोजन को छोड़कर इस प्रकार प्राप्त की गई सूचना की गोपनीयता बनाए रखेंगे और जब उनके पास मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना होगी, उस समय कंपनी की प्रतिभूतियों में अन्यथा लेन-देन नहीं करेंगे।

7.6 मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना (यूपीएसआई) के त्वरित सार्वजनिक प्रकटन के प्रयोजन से कंपनी कंपनी अनुबंध-। में दी गई यूपीएसआई के निष्कपट प्रकटन हेतु प्रक्रिया और पद्धति से संबंधित संहिता को भी अपनाती है।

अध्याय III
ट्रेडिंग संबंधी प्रतिबंध

कोई भी इनसाइडर उस समय किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अथवा सूचीकरण के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग नहीं करेगा, जब उसके पास कोई मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना होगी ।

8. पदनामित कर्मचारियों द्वारा प्रतिभूतियों में वायदा लेन-देन (डीलिंग) पर प्रतिबंध

कंपनी का कोई भी नामित कर्मचारी कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनी अथवा सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम कंपनी में निम्नलिखित की खरीद नहीं करेगा—

(क) संगत प्रतिभूतियों को किसी विनिर्दिष्ट मूल्य पर और किसी विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर और किसी विनिर्दिष्ट संख्या में प्रदायगी के लिए मांग का अधिकार अथवा प्रदायगी करने का अधिकार; अथवा

(ख) ऐसा कोई अधिकार जिससे बह संगत प्रतिभूतियों को किसी विनिर्दिष्ट मूल्य पर और किसी विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर और किसी विनिर्दिपृट संख्या अथवा विनिर्दिष्ट मात्रा में प्रदायगी के लिए मांग के अधिकार अथवा प्रदायगी करने के अधिकार; अथवा का चयन कर सकता/सकती है।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजन के लिए, "संगत प्रतिभूतियों" से कंपनी, जिसमें संबधित व्यक्ति कोई पदनामित कर्मचारी है अथवा इसकी सहायक या सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम कंपनी की प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं।

9. ट्रेडिंग विंडो

9.1 ट्रेडिंग 9 खंड 9;2 में सदर्भित प्रतिबंधित अवधि के दौरान बंद रहेगी। अनुपालन अधिकारी फॉर्म-1 में " बंद ट्रेडिंग विंडो" की अवधि का एक रजिस्टर बनाएग, जिसमें ट्रेडिंग को बंद करने और खोलने की तारीखों तथा ऐसे प्रयोजनों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसके लिए ट्रेडिंग विंडो को बंद रखा गया है।

9.2 ट्रेडिंग विंडो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए बंद रखी जाएगी:

क्र. सं.	कार्यक्रम (घटना) / विवरण	प्रतिबंधित अवधि
(i)	वित्तीय परिणामों की घोषण (तिमाही, छमाही और वार्षिक)	ऐसी बैठक की तारीख से पहले 7 कार्य दिवसों से शुरू होने वाली अवधि जिसमें निदेशक मंडल अथवा इसकी समिति किसी मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना पर विचार करने वाली है और कोई मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना (यूपीएसआई) के सामान्यत: उपलब्ध हो जाने के पश्चात अड़तालिस (48) घंटे समाप्त होने पर।
(ii)	लाभांश (अंतरिम और अंतिम दोनों) की ज्ञात घोषणा	
(iii)	पूंजी ढांचे में परिवर्तन;	
(iv)	प्रतिभूतियों का सार्वजनिक इश्यू अथवा प्रतिभूतियों का बाई-बैक	
(v)	मर्जर, डी-मर्जर, अधिग्रहण, डीलिस्टिंग, निपटान और व्यापार का विस्तार और ऐसे अन्य लेन-देन	
(vi)	सूचीकरण करार के अनुसार वास्तविक घटनाएं	

(vii)	कंपनी की नीतियों, योजनाओं और प्रचालनों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन	यदि निदेशक मंडल अथवा इसकी समिति द्वारा मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना पर विचार नहीं किया जाना है, तो प्रतिबंधित अवधि की गणना बैठक की तारीख के बजाय ऐसी घटना की तारीख के संदर्भ में की जाएगी।
(viii)	सीएमडी, ~~एम एसटीसी~~ अनुमोदन से समय-समय पर अनुपालन अधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य घटना/कार्यक्रम	

तथापि अपरिहार्य परिस्थितियों में विंडो बंद करने के समय को निदेशक मंडल के अध्यक्ष के अनुमोदन से बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है, परंतु इन परिस्थितियों/कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करना आवश्यक है।

9.3 **अनुपालन अधिकारी कंपनी की वेबसाइट पर ट्रेडिंग विंडो बंद करने की अधिसूचना प्रकाशित करेगा।**

9.4 सभी पदनामित कर्मचारी और इनके निकटतम संबंधी कंपनी की प्रतिभूतियों में अपनी सभी ट्रेडिंग किसी वैध ट्रेडिंग विंडो में ही करेंगे और खंड 9.2 में यथा संदर्भित समयावधि, जब ट्रेडिंग विंडो बंद है अथवा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अन्य अवधि के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग नहीं करेंगे।

9.5 ट्रेडिंग विंडो के प्रतिबंध किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी लागू होंगे, जिनके कंपनी के साथ संविदागत अथवा सांविधिक संबंध हैं अर्थात लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षा फर्म, कानूनी फर्म, विश्लेषक, परामर्शदाता आदि, जो कंपनी को सहायता अथवा सलाह देते हैं।

9.6 इएसओपी के मामले में, उस अवधि में विकल्प चुनने की अनुमति दी जाए, जब ट्रेडिंग विंडो बंद है। तथापि ईएसओपी का विकल्प चुनने पर आवंटित शेयरों की बिक्री की ट्रेडिंग विंडो बंद होने पर अनुमति नहीं होगी।

10. ट्रेड की पूर्व स्वीकृति

10.1 सभी पदनामित कर्मचारी और उनके निकटतम संबंधी जो प्रति लेन-देन कंपनी की कम-से-कम 2500 प्रतिभूतियों से अधिक कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, को यहां बताई गई प्री-ट्रेडिंग प्रक्रिया के अनुसार लेन-देनों की पहले से स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। तथापि कोई भी पदनामित कर्मचारी ऐसी स्थिति में किसी प्रस्तावित ट्रेडिंग की पूर्व स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं करेगा यदि उस पदनामित कर्मचारी के पास कोई मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना है भले ही ट्रेडिंग विंडो बंद क्यों न हो।

10.2 प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या दर्शाते हुए अनुपालन अधिकारी को फॉर्म **'II'** में एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा कि पदनामित कर्मचारी अथवा उनके निकट संबंधी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। उस डिपोजीटरी के विवरण, जिसके साथ उसका डिमैट अकाउंट है, उस डिपोजीटरी मोड में प्रतिभूतियों

के विवरण और इस संबंध में कंपनी द्वारा बनाए गए किसी नियम के तहत यथा अपेक्षित अन्य कोई विवरण दिए जाएंगे।

10.3 सभी पदनामित कर्मचारी और उनके निकट संबंधी पूर्व स्वीकृति के लिए अनुमोदन दिए जाने के पश्चात सात ट्रेडिंग दिवसों के भीतर कंपनी की प्रतिभूतियों के संदर्भ में अपने आदेश क्रियान्वित करेंगे। यदि उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, तो पदनामित कर्मचारी को लेन-देन के लिए पुन: पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना चाहिए।

10.4 यदि पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात पदनामित कर्मचारी अथवा उसका/उसकी निकट संबंधी ट्रेडिंग क्रियान्वित न करने का निश्चय करता/करती है, तो वह तत्काल अनुपालन अधिकारी को कारणों सहित ऐसे निर्णय की सूचना देगा/देगी।

10.5 कोई भी पदनामित कर्मचारी अथवा उसका/उसकी निकट संबंधी उस समय किसी प्रस्तावित ट्रेड की पूर्व स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं करेगा, जब ट्रेडिंग विंडो बंद है अथवा उसके पास कोई मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना उपलब्ध है। अनुपालन अधिकारी को प्रस्तुत किए गए ऐसे किसी आवेदन को आदित: निरस्त कर दिया जाएगा।

10.6 किसी ट्रेड को अनुमोदित करने से पहले, अनुपालन अधिकारी इस आशय की घोषणाएं प्राप्त करने के लिए पात्र होगा कि पूर्व स्वीकृति के लिए आवेदक के पास कोई मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना उपलब्ध नहीं है। अनुपालन अधिकारी फॉर्म-**III** में पूर्व स्वीकृति संप्रेषित करेगा।

10.7 ऐसे ट्रेड के विवरण फॉर्म-**IV** में लेन-देन की तारीख से दो (2) दिन के भीतर अनुपालन अधिकारी को दिए जाएंगे।

10.8 निकट संबंधियों के मामले में भी उपर्युक्त खंड 10.1 से 10.4 का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पदनामित कर्मचारियों की होगी।

10.9 सभी पदनामित कर्मचारी, जो कंपनी के कितने भी शेयरों की बिक्री अथवा खरीद करता है, कोई विपरीत ट्रेड निष्पादित नहीं करेगा अर्थात पहले किए गए लेन-देन से अगले 6 माह के दौरान कितने भी शेयरों की बिक्री अथवा खरीद नहीं करेगा।

10.10 अनुपालन अधिकारी निदेशक मंडल के अध्यक्ष के अनुमोदन से लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से ऐसे प्रतिबंध के कड़ाई से अनुपालन के लिए फॉर्म-**V** में छूट प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी छूट से विनियमों का उल्लंघन न हो।

10.11 क्या ऐसे किसी प्रतिबंध के उल्लंघन में जान-बूझकर अथवा अन्यथा कोई प्रतिकूल ट्रेड निष्पादित किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे ट्रेड से होने वाले लाभ को अधिनियम के अंतर्गत सेबी द्वारा प्रशासित निवेशक सुरक्षा और शिक्षा निधि में क्रेडिट के लिए सेबी को लौटाया जाएगा।

10.12 अनुपालन अधिकारी फॉर्म VI में "प्रतिभूतियों में ट्रेड की पूर्व-स्वीकृति" का रिकॉर्ड तैयार करेगा।

11. ट्रेडिंग प्लान

11.1 कोई इनसाइडर अनुमोदन और सार्वजनिक प्रकटन के लिए अनुपालन अधिकारी को एक ट्रेडिंग प्लान तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा, जिसके अनुक्रम में ऐसी योजना के अनुसार उसकी ओर से ट्रेडिंग की जा सकती है।

11.2 ऐसी ट्रेडिंग प्लान में:–

(i) योजना के सार्वजनिक प्रकटन से 6 माह से पहले इनसाइडर की ओर से ट्रेडिंग शुरू करने का प्रावधान नहीं होगा;

(ii) किसी वित्तीय अवधि, जिसके लिए परिणाम कंपनी द्वारा घोषित करना अपेक्षित है , के अंतिम दिन और ऐसे वित्तीय परिणामों की घोषणा के पश्चात दूसरे ट्रेडिंग दिवस से पहले 20वें ट्रेडिंग दिवस के बीच की अवधि के लिए ट्रेडिंग का प्रावधान नहीं होगा;

(iii) कम-से-कम 12 माह की अवधि के लिए ट्रेडिंग का प्रावधान होगा;

(iv) किसी ऐसी अवधि जिसके लिए पहले से कोई अन्य ट्रेडिंग प्लान मौजूद है, की ओवरलैपिंग का प्रावधान नहीं होगा;

(v) या तो किए जाने वाले ट्रेड का मूल्य अथवा ट्रेड की प्रकृति के साथ-साथ ट्रेड की जाने वाली प्रतिभूतियों की संख्या और उस अंतराल अथवा उन तारीखों का उल्लेख होगा, जिनमें ऐसे ट्रेड किए जाएंगे; और

(vi) बाजार के दुरूपयोग के लिए प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग का प्रावधान नहीं होगा।

11.3 अनुपालन अधिकारी इस बात का मूल्यांकन करने के लिए ट्रेडिंग प्लान की समीक्षा करेगा कि इसमें विनियमों के उल्लंघन की कोई संभावना तो नहीं हौ और वह ऐसे मूल्यांकन को समर्थ बनाने और येाजना के कार्यान्वियन के अनुमोदन और निगरानी के लिए यथावश्यक घोषणाएं प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

11.4 अनुमोदित हो जाने पर ट्रेडिंग प्लान अपरिवर्तनीय होगा और इनसाइडर को इस प्लान का अनिवार्य रूप से कार्यान्वियन करना होगा, वह न तो इससे विचलन के लिए पात्र होगा और न ही ट्रेडिंग प्लान के कार्यक्षेत्र से बाहर प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग कर सकेगा।

बशर्ते कि योजना तैयार करते समय इनसाइडर के पास कोई मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना उपलब्ध होने और कार्यान्वियन शुरू करने के समय सामान्यत: ऐसी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न होंगे की स्थिति में ट्रेडिंग प्लान का कार्यान्वियन शुरू नहीं किया जाएगा और ऐसी स्थिति में अनुपालन

अधिकारी इस बात की पुष्टि करेगा कि जब तक मूल्य संवेदी ऐसी अप्रकाशित सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो जाती है, तब तक के लिए इसका कार्यान्वयन आस्थगित कर दिया जाए।

11.5 ट्रेडिंग प्लान का अनुमोदन हो जाने पर अनुपालन अधिकारी उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्लान अधिसूचित करेगा, जिनमें प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

अध्याय IV
रिपोर्टिंग और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं

12.1 <u>प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं</u>

12.1.1 आरंभिक प्रकटन

किसके द्वारा	क्या प्रकट किया गया	कब प्रकट किया गया	फॉर्म
प्रमोटर/निदेशक/अनुपालन अधिकारी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	इस संहिता के लागू होने की तारीख अर्थात 15.05.2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों की धारिता (होल्डिंग)	इस संहिता के लागू होने की तारीख अर्थात 15.05.2015 से 30 दिन के भीतर	फॉर्म "क"
प्रमोटर/निदेशक/अनुपालन अधिकारी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	प्रोमोटर के रूप में नियुक्ति अथवा प्रमोटर बननने की तारीख को कंपनी की प्रतिभूतियों की धारिता (होल्डिंग)	ऐसी अभ्युक्ति अथवा प्रामोटर बनने की तारीख से 7 दिन के भीतर	फॉर्म "ख"

12.1.2 लगातार प्रकटन

किसके द्वारा	क्या प्रकट किया गया	कब प्रकट किया गया	फॉर्म
अनुपालन अधिकारी के प्रमोटर/निदेशक कर्मचारी	अधिग्रहित अथवा निपटान की गई प्रतिभूतियों की संख्या	यदि एक लेन-देन अथवा किसी तिमाही में किए गए कई लेन-देनों में ट्रेडित प्रतिभूतियों का मूल्य 10 लाख रूपए से अधिक हो जाता है, तो ऐसे लेन-देन की तारीख से दो ट्रेडिंग दिवसों के भीतर। **किसी तिमाही के दौरान उत्तरोत्त बढ़ रहे लेन-देनों का प्रकटन भी उस समय किया जाएगा, जब पूर्व में किए गए प्रकटन के पश्चात होने वाले लेन-देनों की सीमा उपर विनिर्दिष्ट 10 लाख रुपए की सीमा से अधिक हो जाती है।*	फॉर्म "ग"
अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा लेन-देन	अधिग्रहित अथवा निपटान की गई प्रतिभूतियों की संख्या	यदि एक लेन-देन अथवा किसी तिमाही में किए गए कई लेन-देनों में ट्रेडित प्रतिभूतियों का मूल्य 10 लाख रूपए से अधिक हो जाता है, तो ऐसे लेन-देन की तारीख से दो ट्रेडिंग दिवसों के भीतर। **किसी तिमाही के दौरान उत्तरोत्त बढ़ रहे लेन-देनों का प्रकटन भी उस समय किया जाएगा, जब पूर्व में किए गए प्रकटन के पश्चात होने वाले लेन-देनों की सीमा उपर विनिर्दिष्ट 10 लाख रुपए की सीमा से अधिक हो जाती है।*	फॉर्म "घ"
कंपनी	उपर्युक्त प्रकटन के विवरण	प्रकटन की प्राप्ति से अथवा ऐसे प्रकटन के बारे में जानकारी होने के बाद दो ट्रेडिंग दिवसों के भीतर	फॉर्म "ग" या फॉर्म "घ" स्टॉक एक्सचेंजों को भेजा जाय।

12.2 खंड 12.1 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए प्रकटन में ऐसे व्यक्ति के निकट संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग से संबंधित प्रकटन और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति जिसके लिए यह व्यक्ति ट्रेडिंग संबंधी निर्णय लेता है, द्वारा किए गए प्रकटन शामिल होंगे।

12.3 प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के प्रकटन में प्रतिभूतियों के व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) में ट्रेडिंग भी शामिल होगी और व्युत्पन्न घटकों के ट्रेडित मूल्य की गणना खंड 12.1 के प्रयोजन से की जाएगी।

12.4 अनुपालन अधिकारी पांच वर्ष की अवधि के लिए समय-समय पर प्राप्त इस कोड में उल्लिखित सभी प्रकटनों/घोषणाओं/शपथ पत्रों/फॉर्मों का रिकॉर्ड रखेगा।

12.5 अनुपालन अधिकारी निदेशक मंडल को रिपोर्ट करेगा और विशेष रूप से लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल के अध्यक्ष को वार्षिक रिपोर्टें प्रदान करेगा।

अध्याय V
विविध

13. संहिता के उल्लंघन के लिए श्वास्ति

13.1 सभी पदनामित कर्मचारी और संबंधित व्यक्ति जो प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग करते हैं अथवा आचार-संहिता के उल्लंघन में प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग के लिए कोई सूचना संप्रेषित करते हैं, पर शास्ति अधिरोपित की जा सकती है और कंपनी द्वारा इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति इस आचार-संहिता के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। (जिसमें उसके निकटतम संबंधियों के लिए प्रावधान के लागू होने की सीमा शामिल है)।

13.2 कोई भी कर्मचारी, जो इस आचार-संहिता का उल्लंघन करता है, के विरूद्ध कंपनी की कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली में यथा परिभाषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा मजदूरी, वेतन की कटौती, निलंबन अथवा अन्य कोई कार्रवाई सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

13.3 कंपनी द्वारा कार्रवाई से विनियमों के उल्लंघन के मामले में सेबी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई समाप्त नहीं होगी।

13.4 यदि कंपनी और/अथवा अनुपालन अधिकारी द्वारा ऐसा पाया जाता है कि विनियमों का उल्लंघन हुआ है, तो कंपनी द्वारा इसकी सूचना सेबी को दी जाएगी।

14. एमएमटीसी की वेबसाईट पर आचार संहिता को अपलोड करना

यह आचार संहिता और इसमें किए जाने वाले संशोधन कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे।

फॉर्म – I

ट्रेडिंग विंडो के बंद होने की अवधि का रजिस्टर

क्र. सं.	उद्देश्य, जिसके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद की गई	ट्रेडिंग विंडो बंद किए जाने की शुरूआती तारीख	ट्रेडिंग विंडो बंद किए जाने की अधिसूचना की तारीख, यदि कोई है	ट्रेडिंग विंडो खोले जाने की तारीख	अभ्युक्तियां

एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली

फॉर्म -II

प्रतिभूतियों में ट्रेड की पूर्व-स्वीकृति के लिए आवेदन

सेवा में

अनुपालन अधिकारी
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

महोदय,

सेबी (इनसाइडर क्रेडिट पर प्रतिबंध) , विनियम 2015 और इनसाइडर द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन और रिपोर्टिंग तथा निष्कपट प्रकटन के लिए कंपनी की आचार-संहिता के अनुक्रम में, मैं नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री/अंशदान (विवरण दें) के लिए अनुमोदन प्राप्त करना चाहता हूं :

नाम, पदनाम तथा कर्मचारी सं..:

यूनिट :

ज्वाइनिंग/पदनामित कर्मचारी होने की तारीख:

क्र. सं.	आवेदन की तारीख को धारित प्रतिभूतियों की संख्या (निकट संबंधियों द्वारा धारित प्रतिभूतियों सहित)।	फोलियो सं. / डीपी आई डी तथा ग्राहक आईडी और पैन	नए लेन-देन का स्वरूप, जिसके लिए अनुमोदन मांगा गया है (अर्थात प्रतिभूतियों की खरीद अथवा बिक्री अथवा अंशदान)	लेन-देन की जाने वाली प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या
1	2	3	4	5
अनुमानित विचारण मूल्य	क्या प्रस्तावित लेन-देन स्वयं के नाम पर है अथवा निकट संबंधियों के नाम पर	यदि लेन-देन निकट संबंधियों के नाम पर है, तो निकटतम संबंधियों का नाम और पैन	लेन-देन की तारीख	खरीद/आवंटन के पिछले अनुमोदन की संख्या और तारीख
6	7	8	9	10

घोषणा पत्र

इस संबंध में मैं अपने पूरे होशो हवास में इस बात की पुष्टि और घोषणा करता हूं :

क) कि घोषणापत्र में हस्ताक्षर के समय तक मेरे पास कोई मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना नहीं है और/अथवा प्राप्त नहीं हुई है;

ख) कि यदि घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के पश्चात, परंतु लेन-देन निष्पादित करने से पहले मुझे कोई ''मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना प्राप्त होती है या मैं उसका अभिगम करता हूं, तो मैं अपनी स्थिति/पद में किसी परिवर्तन की सूचना अनुपालन अधिकारी को दूंगा और जब तक कि यह सूचना सार्वजनिक नहीं हो जाती है, तब तक मैं प्रतिभूतियों में डीलिंग से अपने आपको दूर रखूंगा;

ग) कि मैंने कंपनी द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित इनसाइडर द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन और रिपोर्टिंग तथा निष्कपट प्रकटन के लिए ~~एमएसटीसी~~की आचार-संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।

घ) कि मैं खरीद की तारीख से न्यूनतम 6 माह की अवधि के लिए प्रतिभूतियों को अपने पास रखूंगा/कि मैंने बेची गई प्रतिभूतियों के संदर्भ में 6 माह की न्यूनतम धारिता अवधि की आवश्यकता का अनुपालन किया है। (बिक्री संबंधी लेन-देन के मामले में भी लागू है)।

ड़) कि मैं लेन-देन के निष्पादन से दो ट्रेडिंग दिवसों के भीतर आवश्यक रिपोर्ट/लेन-देन न किए जाने के मामले में एक 'निल' रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वचन देता हूं।

च) कि मैं इस बात से अवगत हूं कि यदि किसी भी समय उपर्युक्त घोषणाएं असत्य अथवा दिग्भ्रमित करने वाली पायी जाती हैं, तो मैं कंपनी की आचार संहिता के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई, मजदूरी की जब्ती, निलंबन आदि सहित इस आचार संहिता में उल्लिखित दांडिक परिणामों को झेलने के लिए जवाबदेह रहूंगा।

छ) कि मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूं कि ट्रेडिंग विंडो बंद घोषित किए जाने के मामले में स्वीकृत अवधि में प्रतिभूतियों में लेन-देन नहीं करूंगा।

(ज) कि मैंने इस मामले में एतद्वारा पूर्ण और सही प्रकटन किया है।

एमएमटीसी लिमिटेड की "इनसाइडर द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन और रिपोर्टिंग तथा निष्कपट प्रकटन के लिए आचार-संहिता , 2015" के प्रावधानों के अनुसार कृपया पूर्व स्वीकृति प्रदान की जाए।

हस्ताक्षर :...............................
नाम तथा पदनाम:............
कर्मचारी सं.....................
यूनिट :..........................

तारीख .....
स्थान .....

कार्यालय के उपयोग के लिए

प्राप्त हुए आवेदनों की क्रम संख्या:

आवेदन की प्राप्ति की तारीख और समय:

पूर्व-स्वीकृति या अन्यथा संप्रेषण की तारीख और समय:

पूर्व स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण:

अनुपालन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली

फॉर्म -III
पूर्व-स्वीकृति की सूचना का पत्र

नाम ....

कर्मचारी सं........

पदनाम...........

महाशय ,

आपके दिनांक .... के आवेदन, जिसमें यहां विस्तार से दी गई प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए अनुमोदन मांगा गया है, के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि आपको उपर्युक्त आवेदन में विस्तार से दिए गए लेन-देन (लेन-देनों) को निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है/प्राधिकृत नहीं किया जाता है ।

कृपया नोट करें कि एमएमटीसी लिमिटेड की "इनसाइडर द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन और रिपोर्टिंग तथा निष्कपट प्रकटन के लिए आचार-संहिता, 2015" के संदर्भ में उपर्युक्त लेन-देन पूर्व स्वीकृति से सात ट्रेडिंग दिवसों के भीतर पूरा किया जाए।

यह अनुमोदन आपको उपर्युक्त आवेदन में आपके द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं, दिए गए प्रतिवेदनों और वारंटियों के आधार पर जारी किया जा रहा है।

यह अनुमोदन पत्र .... (अर्थात सात ट्रेडिंग दिवसों के लिए) वैध है। यदि आप अनुमोदित लेन-देन निष्पादित नहीं करते हैं/इस तारीख को या उससे पहले, लेन-देन नहीं करते हैं तो आपको इन प्रतिभूतियों में लेन-देन/डीलिंग करने से पहले नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इसके अलावा आपसे लेन-देन/डीलिंग की तारीख से दो ट्रेडिंग दिवसों के भीतर संलग्न प्रपत्र (फॉर्म V) में निष्पादित लेन-देनों के विवरण फाइल करना अपेक्षित है।

यदि लेन-देन नहीं किया जाता है, तो एक " निल" रिपोर्ट भेजी जाए।

कृपया यह भी नोट करें कि एमएमटीसी लिमिटेड की "इनसाइडर द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन और रिपोर्टिंग तथा निष्कपट प्रकटन के लिए आचार-संहिता, 2015" के अनुसार खरीदी जाने वाली प्रतिभूतियां खरीद की तारीख से कम-से-कम 6 माह की अवधि के लिए रखी जाएंगी।
(केवल खरीद संबंधी लेन-देनों के संदर्भ में ही लागू है)।

यदि बाद में यहां दी गई स्वीकृति अवधि को शामिल करते हुए ट्रेडिंग विंडो बंद घोषित कर दी जाती है, तो उपर्युक्त स्वीकृति को स्वत: वापस लिया गया माना जाएगा।

कृते और की ओर से
एम एम टी सी लिमिटेड

अनुपालन अधिकारी/ प्राधिकृत अधिकारी

एमएमटीसी लिमिटेड
नई दिल्ली

फॉर्म IV

पूर्व अनुमोदित लेन-देनों के प्रकटन के लिए प्रपत्र

(कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन/डीलिंग की तारीख से दो ट्रेडिंग दिवसों के भीतर प्रस्तुत किया जाए)

तारीख : ___ ___

सेवा में

अनुपालन अधिकारी
एमएमटीसी लिमिटेड
नई दिल्ली

विषयः- पूर्व अनुमोदित लेन-देनों के विवरण

संदर्भ: आपके अनुमोदन पत्र संख्या ____________दिनांक _________

महोदय,

उपर्युक्त के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि मैंने

- कोई प्रतिभूतियो की खरीद /बिक्री/अंशदान नहीं किया है

- अपनी ओर से/अपने निकटतम संबंधी की ओर से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार .... (तारीख डालें) को ....(सं.) प्रतिभूतियों (विवरण दें) की खरीद /बिक्री/अंशदान किया है:

धारक का नाम अथवा यदि लेन-देन निकटतम संबंधी के नाम पर किया गया है, तो निकटतम संबंधी का नाम	प्रथम अथवा संयुक्त धारक **	लेन-देन की गई प्रतिभूतियों की संख्या	खरीदी/बेची गई/अंशदान की गई	डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी (इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म) अथवा भौतिक रूप में फोलियो संख्या, जहां प्रतिभूतियां डेबिट अथवा क्रेडिट की जाएंगी	पैन	मूल्य (रूपए)

** "एफ" प्रथम धारक "जे" संयुक्त धारक

उपर्युक्त लेन-देन (लेन-देनों) के संबंध में मैं एतद्वारा 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा करने और निम्नलिखित में से कोई भी अथवा सभी दस्तावेज अनुपालन अधिकारी/सेबी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए शपथ लेता हूं :

1. ब्रोकर का संविदा नोट।
2. ब्रोकर को/से भुगतान का साक्ष्य ।
3. बैंक की पासबुक/विवरण का सारांश (डीमैट लेन-देनों के मामले में प्रस्तुत किया जाए)।
4. प्रदायगी अनुदेश पर्ची की प्रतिलिपि (बिक्री संबंधी लेन-देनों के मामले में लागू)।
5. लेन-देन के संबंध में अन्य कोई दस्तावेज।

मैं घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त सूचना सही है और यह कि एमएमटीसी लिमिटेड की "इनसाइडर द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन और रिपोर्टिंग तथा निष्कपट प्रकटन के लिए आचार-संहिता, 2015" के किन्हीं भी प्रावधानों और/अथवा लागू विधियों (कानूनों)/विनियमों का उपर्युक्त लेन-देन (लेन-देनों) के निष्पादन हेतु उल्लंघन नहीं किया गया है।

मैं एतद्वारा 6 माह की न्यूनतम अवधि के लिए उपर्युक्त प्रतिपूर्तियों को धारित करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर इन प्रतिभूतियों को बेचने के लिए कोई तत्काल आवश्यकता होती है, तो आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मैं कंपनी (अनुपालन अधिकारी) से पहले करूंगा (खरीद/अंशदान) के मामले में लागू है।

भवदीय,

हस्ताक्षर: ____________________

नाम: __________________

कर्मचारी संख्या: ________________

एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली

फॉर्म-V

अधिग्रहण की तारीख से 6 माह के भीतर प्रतिभूतियों के निपटान के लिए प्रतिबंध से छूट प्रदान करने का रजिस्टर

क्र. सं.	नाम	पदनाम, कर्मचारी सं. और पैन	यूनिट	यदि प्रतिभूतियां निकट संबंधी के नाम पर ली गई हैं तो निकट संबंधी का नाम और पैन	प्रतिभूतियों की संख्या
1	2	3	4	5	6

विचारित मूल्य	छूट के कारण	छूट की तारीख	अभ्युक्तियां
7	8	9	10

एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली

फॉर्म-VI

प्रतिभूतियों में ट्रेड के लिए पूर्व स्वीकृति का रजिस्टर

क्र. सं.	नाम	पदनाम, कर्मचारी सं. और पैन	यूनिट	पूर्व स्वीकृति के लिए आवेदन प्राप्ति की तारीख और समय	लेन-देन का स्वरूप (प्रतिभूतियों की खरीद अथवा बिक्री अथवा अंशदान)	आवेदन में दर्शाई गई प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या
1	2	3	4	5	6	7

आवेदन में दर्शाया गया अनुमानित विचारित मूल्य	यदि लेन-देन निकट संबंधी के नाम पर है तो निकट संबंधी का नाम	अनुपालन अधिकारी द्वारा स्वीकृति के संप्रेषण की तारीख	स्वीकृति प्रदान न किए जाने के मामले में स्वीकृति न देने के कारण	वास्तविक रूप से ट्रेडित प्रतिभूतियों की संख्या, यदि बताई गई है	अभ्युक्तियां
8	9	10	11	12	13

एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली

फॉर्म-VII

शेयरधारिता के प्रकटन का रजिस्टर

नाम,	पदनाम और कर्मचारी सं.	केएमपी/निदेशक के रूप में नियुक्ति /प्रमोटर बनने की तारीख	सूचना प्राप्त होने की तारीख	प्रतिभूतियों की संख्या	नाम (यदि प्रतिभूतियां निकट संबंधियों के नाम पर ली गई हैं)

नाम, पदनाम और कर्मचारी सं.	यूनिट	कर्मचारी/ केएमपी/निदेशक के रूप में नियुक्ति /प्रमोटर बनने की तारीख	सूचना प्राप्त होने की तारीख	प्रतिभूतियों की संख्या (प्रतिभूतियों के व्युत्पन्न की खरीद अथवा बिक्री या क्रेडिंग)	मूल्य	नाम (यदि प्रतिभूतियां निकट संबंधियों के नाम पर ली गई हैं)

फॉर्म क

प्रमोटर, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), निदेशक और ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा धारित प्रतिभूतियों के विवरण

कंपनी का नाम:

कंपनी की आईएसआईएन:

नाम, पैन सं. , सीआईएन/ डीआईएन तथा संपर्क संख्या के साथ पता	व्यक्ति की श्रेणी (प्रमोटर/केएमपी/निदेशक/निकट संबंधी/अन्य व्यक्ति आदि)	विनियम लागू होने की तारीख को धारित प्रतिभूतियां		शेयरधारिता का %	विनियम लागू होने की तारीख को धारित भावी संविदाओं का मुक्त ब्याज		विनियम लागू होने की तारीख को धारित वैकल्पिक संविदाओं का मुक्त ब्याज	
		प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए – शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	सं.		यूनिटों की संख्या (संविदाएं * लॉट का आकार)	रुपए के संदर्भ में राष्ट्रीय मूल्य	यूनिटों की संख्या (संविदाएं * लॉट का आकार)	रुपए के संदर्भ में राष्ट्रीय मूल्य
1	2	3	4	5	6		7	

नोट: "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम 2015 के विनियम 2(1)(i) में परिभाषित किया गया है।

हस्ताक्षर: ____________________

पदनाम: __________________

तारीख:

स्थान:

फॉर्म ख

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) अथवा निदेशक के रूप में नियुक्ति अथवा प्रमोटर और ऐसा अन्य व्यक्ति बनने पर धारित प्रतिभूतियों के विवरण

कंपनी का नाम:

कंपनी की आईएसआईएन:

नाम, पैन सं. , सीआईएन/ डीआईएन तथा संपर्क संख्या के साथ पता	व्यक्ति की श्रेणी (प्रमोटर/केएमपी/निदेशक/निकट संबंधी/अन्य व्यक्ति आदि)	निदेशक/केएमपी के पद पर नियुक्ति की तारीख अथवा प्रमोटर बनने की तारीख	धारित प्रतिभूतियां		शेयरधारिता का %	प्रमोटर बनते समय/निदेशक/ केएमपी के पद पर नियुक्ति के समय भावी संविदाओं का मुक्त ब्याज		प्रमोटर बनते समय/निदेशक/ केएमपी के पद पर नियुक्ति के समय वैकल्पिक संविदाओं का मुक्त ब्याज	
			प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए – शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	सं.		यूनिटों की संख्या (संविदाएं * लॉट का आकार)	रुपए के संदर्भ में राष्ट्रीय मूल्य	यूनिटों की संख्या (संविदाएं * लॉट का आकार)	रुपए के संदर्भ में राष्ट्रीय मूल्य
1	2	3	4		5	6		7	

*नोट: "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम **2015** के विनियम 2(1)(i) में परिभाषित किया गया है।*

हस्ताक्षर: ____________________

पदनाम: __________________

तारीख:

स्थान:

फॉर्म ग

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) अथवा निदेशक के रूप में नियुक्ति अथवा प्रमोटर और ऐसा अन्य व्यक्ति बनने पर धारित प्रतिभूतियों के विवरण

कंपनी का नाम:

कंपनी की आईएसआईएन:

प्रमोटर/ कर्मचारी/ निदेशक का नाम, पैन सं. , सीआईएन / डीआईएन तथा संपर्क संख्या के साथ पता	व्यक्ति की श्रेणी (प्रमोटर/ केएमपी/ निदेशक/ निकटतम संबंधी/अन्य व्यक्ति आदि)	अधिग्रहण/निपटान से पहले धारित प्रतिभूतियां		अधिग्रहित/निपटायी गई प्रतिभूतियां		शेयरधारिता का %		शेयरों के आवंटन की एडवाइस/ अधिग्रहण की तारीख/विनिर्दिष्ट शेयरों की बिक्री		कंपनी को सूचना की तारीख	अधिग्रहण का तरीका (बाजार से खरीद/सार्वजनिक अधिकार/प्राथमिक प्रस्ताव/ऑफ मार्केट/इंटर से हस्तांतरण आदि	डेरिवेटिव में ट्रेडिंग (संविदा का प्रकार,वायदा अथवा विकल्पों आदि को विनिर्दिष्ट करें)				एक्सचेंज जिसमें ट्रेड निष्पादित किया गया
												खरीद		बिक्री		
		प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए – शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	सं.	प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए – शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	सं.	लेन-देन से पहले	लेन-देन के बाद	से	तक			मूल्य	यूनिटों की संख्या (संविदाएं * लॉट का आकार)	मूल्य	यूनिटों की संख्या (संविदाएं * लॉट का आकार)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

नोट: "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम 2015 के विनियम 2(1)(i) में परिभाषित किया गया है।

हस्ताक्षर: ____________________

पदनाम: ____________________

तारीख:

स्थान:

फॉर्म घ

अन्य संबंधी व्यक्तियों द्वारा लेन-देन

संबंधित व्यक्तियों का नाम, पैन सं. , सीआईएन / डीआईएन तथा संपर्क संख्या के साथ पता	कंपनी के साथ संबंध	अधिग्रहण/निपटान से पहले धारित प्रतिभूतियां		अधिग्रहित/निपटायी गई प्रतिभूतियां		शेयरधारिता का %		शेयरों के आवंटन की एडवाइस/ अधिग्रहण की तारीख/विनिर्दिष्ट शेयरों की बिक्री		कंपनी को सूचना की तारीख	अधिग्रहण का तरीका (बाजार से खरीद/सार्वजनिक अधिकार/प्राथमिक प्रस्ताव/ऑफ मार्केट/इंटर से हस्तांतरण आदि	डेरिवेटिव में ट्रेडिंग (संविदा का प्रकार,वायदा अथवा विकल्पों आदि को विनिर्दिष्ट करें)				एक्सचेंज जिसमें ट्रेड निष्पादित किया गया
												खरीद		बिक्री		
		प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए – शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	सं.	प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए – शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	सं.	लेन-देन से पहले	लेन-देन के बाद	से	तक			मूल्य	यूनिटों की संख्या (संविदाएं * लॉट का आकार)	मूल्य	यूनिटों की संख्या (संविदाएं * लॉट का आकार)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

नोट: "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम 2015 के विनियम 2(1)(i) में परिभाषित किया गया है।

हस्ताक्षर: ____________________

पदनाम: ____________________

तारीख:

स्थान:

अनुबंध –I

मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना के निष्कपट प्रकटन के लिए प्रक्रियाओं और पद्धतियों की आचार-संहिता के प्रयोजन के लिए निष्कपट प्रकटन के सिद्धांत

1. मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना जो मूल्य निर्धारण को प्रभावित करेगी, ऐसी सूचना को सामान्यत: उपलब्ध कराने के प्रयोजन से जैसे ही विश्वसनीय और सार्थक सूचना प्राप्त हो, उसका सार्वजनिक रूप से त्वरित प्रकटन करना

2. चयनित प्रकटन से बचने के लिए मूल्य संवेद अप्रकाशित सूचना का समान रूप से और सार्वभौमिक रूप से प्रसार करना।

3. सूचना के प्रचार-प्रसार और मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना के प्रकटन से संबंधित कार्रवाई के लिए एक मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी के रूप में किसी वरिष्ठ अधिकारी को पदनामित करना।

4. मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना, जिसका चयनित रूप से, जान-बूझकर अथवा ऐसी सूचना को सामान्यत: उपलब्ध कराने के लिए अन्यथा प्रकट किया जा सकता है, का त्वरित प्रचार-प्रसार करना।

5. नियामक प्राधिकारियों द्वारा बाजार की अफवाहों के सत्यापन हेतु नई रिपोर्टों और अनुरोधों पर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त और निष्कपट उत्तर देना।

6. यह सुनिश्चित करना कि विश्लेषकों और अनुसंधान कार्मिकों के साथ साझा की गई सूचना मूल्य संवेदी अप्रकाशित सूचना नहीं है।

7. किए गए प्रकटन की सरकारी पुष्टि और प्रलेखन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी वेबसाइट पर विश्लेषकों और अन्य निवेशक संबंधों से जुड़े सम्मेलनों और बैठकों की कार्यवाही की ट्रांसक्रिप्ट अथवा रिकॉर्ड तैयार करने की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का विकास करना।

8. मूल्य संवेदी सभी अप्रकाशित सूचना के संबंध में जानने की आवश्कता के आधार पर कार्रवाई करना।